न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/86

1. टीकम चन्द आत्मज भंवर लाल
2. धनराज आत्मज भंवर लाल ।
3. राकेश आत्मज भंवर लाल ।
4. गुलाब चन्द आत्मज मोती लाल ।
5. श्याम लाल आत्मज भंवर लाल जाति लश्करी चमार, मेघवंशी निवासीगण छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. कंचन बाई पत्नी भंवर लाल जाति लश्करी मेघवंशी चमार निवासनी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. निर्मला पुत्री मोती लाल जाति लश्करी मेघवंशी चमार निवासी सन्तोषी नगर, कोटा ।
8. बेजन्ती बाई पुत्री रामलाल पत्नी प्रेमचन्द जाति लश्करी मेघवंशी, चमार निवासी छोटा सोगरिया लाडपुरा जिला कोटा ।
9. रामनाथी पत्नी रामलाल जाति लश्करी मेघवंशी, चमार, निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. बलराम पुत्र मोती लाल जाति लश्करी, मेघवंशी चमार निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. चन्द्र प्रकाश पुत्र रामलाल जाति लश्करी, मेघवंशी चमार निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. महेन्द्र पुत्र भंवर लाल जाति लश्करी, मेघवंशी चमार मुख्तारआम टीकम चन्द, धनराज, राकेश, गुलाब चन्द पिसरान मोती लाल निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामरतन पुत्र देवा जाति लश्करी, मेघवंशी चमार ।
2. गुलाब बाई पत्नी रामरतन जाति लश्करी मेघवंशी चमार ।
3. महेश कुमार (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   3/1. आशा देवी पत्नी स्व0 महेश कुमार
   3/2. प्रमोद आयु 16 वर्ष पुत्र स्व0 महेश कुमार ।
   3/3. सोनाली आयु 13 वर्ष पुत्री स्व0 महेश कुमार ।
   3/4. समीक्षा आयु 11 वषर्स पुत्री स्व0 महेश कुमार नाबालिगान जरिये वली माता आशा देवी निवासीगण छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. आशा देवी पत्नी महेश कुमार जाति लश्करी मेघवंशी चमार ।
5. मेघराज पुत्र रामलाल जाति लश्करी, मेघवंशी चमार ।
6. सुमित्रा पुत्री रामलाल जाति लश्करी, मेघवंशी चमार ।
7. रेखा पुत्री रामलाल जाति लश्करी, मेघवंशी चमार ।

8. नवल किशोर पुत्र मोतीलाल जाति लश्करी, मेघवंशी चमार ।
9. उमा पुत्री मोती लाल जाति लश्करी, मेघवंशी चमार निवासीगण छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 27.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 92(ए) एंव 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थी क्रम 5 से 12 के प्रार्थी क्रम 1 से 4 मुख्तारआम हैं जिनके हक में प्रार्थी क्रम 5 से 12 द्वारा दिनांक 19.11.2016 को मुख्तार नामा आम हर प्रकार के कार्य व कार्यवाहियॉ करने हेतु तहरीर किया हुआ है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण क्रम 1 एवं 5 से 9 के संयुक्त खाते की पुश्तैनी आराजी ग्राम चन्द्रेसल, सोगरिया व अर्जुनपुरा में स्थित है जो सुक्खा जी से देव्या उर्फ देवीलाल एवं देवा उर्फ रामदेवा जो उनके वारिस थे को प्राप्त हुई और देव्या उर्फ देवीलाल की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान रामलाल, भंवर लाल, मोती लाल बने और रामदेवा की मृत्यु के उपरान्त उनका वारिस रामरतन, प्रेमबाई बने । रामलाल, भंवरलाल और मोती की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण क्रम 5 से 9 हैं जो देवीलाल के 1/2 हिस्से के हकदार हैं । ग्राम अर्जुनपुरा की आराजी में अप्रार्थी क्रम 1 ने सम्पूर्ण आराजी गलत तरीके से मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करा ली जबकि रामरतन, रामदेव उर्फ देवा का पुत्र है और 1/2 हिस्से का ही हकदार है जिसमें उसकी बहिन प्रेमबाई भी 1/2 में उसकी सहखातेदार है किन्तु ग्राम अर्जुनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 110 की 5.02 हैक्टर सम्पूर्ण आराजी को रामरतन व प्रेमाबई का नाम दर्ज करवा कर बदयान्ति पूर्वक प्रेमबाई से अपने हक में हकत्याग करवा कर सम्पूर्ण खाते का खातेदार बन गया है जबकि उक्त भूमि पुश्तैनी है इसलिए उक्त भूमि में प्रार्थीगण 1/2 के हकदार हैं । सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । अप्रार्थी क्रम 1 ने गुपचुप तरीके से सम्पूर्ण आराजी को अपने नाम दर्ज करवा कर विक्रय कर दिया है और अब प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 5 से 9 के हिस्से को भी खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी कम 1 से 4 के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस आशय की पारित की जावे कि रिकॉर्ड में गलत तौर पर नाम दर्ज होने के आधार पर अप्रार्थी कम 1 से 4 पुश्तैनी संयुक्त आराजी खसरा नम्बर 110 की 5.02 हैक्टर वाके ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा या उसके किसी भाग को अवैध व गैर कानूनी तरीके से अन्यत्र खुर्द–बुर्द एंव विक्रय व हस्तान्तरित नहीं करे और न ही आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण को काश्त करने से रोके और न ही उनके कब्जे काश्त में ताकत के बल पर मजाहमत व मदाखलत करे ।

4. अप्रार्थीगण कम 1 से 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.01.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजी वाके ग्राम चन्द्रेसल, सोगरिया, व अर्जुनपुरा में स्थित है । उक्त भूमियों में से ग्राम अुर्जनपुरा की भूमि देवा उर्फ रामदेवा ने गुपचुप तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली और उक्त आराजी को अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 की नीयत में बदयान्ति आ जाने से रामरतन ने सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हैं । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 द्वारा जो गंगा बाई का खाता प्रस्तुत किया गया है उसके वास्तविक तथ्य न्यायालय में छिपाये गये है जबकि सुक्खा और हीरा दोनों भाई थे । ग्राम अुर्जनपुरा की आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 एवं 5 से 9 का 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है । गंगाबाई और मोहन ने कभी रामदेव को न तो गोद लिया न ही उसके पक्ष में कोई वसीयत कराई न ही कोई दानपत्र आदि किया और न ही ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थी कम 1 से 4 द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है जिससे रामदेव को वादग्रस्त आराजी का तन्हा खातेदार माना जा सके । बिना वसीयत के उत्तराधिकार उन सभी जीवित परिवार के सदस्यों में निहित होगा न कि अकेले रामदेव के । संयुक्त खाते की आराजी में सभी सहखातेदार का समान रूप से हक व कब्जा निहित होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होते हुए खारिज करने में त्रुटि की है । प्रार्थीगण ने हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया था जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजी वाके ग्राम चन्द्रेसल, सोगरिया व अर्जुनपुरा में स्थित है जो सुक्खा जी के मरने के बाद देव्या

उर्फ देवीलाल और देवा उर्फ रामदेवा जो उनके वारिसान थे के नाम खाते में आई । उनमें से ग्राम अर्जुनपुरा की भूमि देवा उर्फ रामदेवा ने गुपचुप तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली और अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 की नियत में बदयान्ति आने से रामरकन जो देवा उर्फ रामदेवा का पुत्र है ने खसरा नम्बर 110 की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर अपनी पत्नी अपने लडके व पुत्रवधु के नाम पृथक–पृथक टुकडे करके दर्ज करवा दी और उक्त आराजी का विक्रय करने पर आमादा हैं । इसलिए रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है । सुक्खा और हीरा दोनों सगे भाई थे और सुक्खा के दो लडके देवा उर्फ रामदेवा व देव्या उर्फ देवीराम थे और हीरा के एक लडका मोहन था जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके कोई और लडका नहीं है । उनकी पत्नी गंगाबाई थी जो नाते चली गई है इसलिए यह आराजी स्वतः ही हीरा के भाई सुक्खा के लडके जो कि हीरा के भतीजे हैं उनके खाते में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु रामदेव उर्फ देवा ने इस आराजी को अपने नाम करवा लिया । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः उन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011 (1) पेज 212, डीएनजे 2014 (4) पेज 1634, आरएलडब्ल्यू 1991 (1) पेज 605, डीएनजे 2010 (1) (राज0) पेज 61, आरआरटी 2002 (II) पेज 882 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की अधीनस्थ न्यायालय में जो प्लीडिंग है उसके विपरीत अपील में कथन करने से एस्टोप्ड हैं । वादग्रस्त आराजी सुक्खा के खाते से रेस्पोडेन्ट के खाते में नहीं आई वरन् प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार संवत् 2005 में ही गंगाबाई बेवा मोहन के जीवनकाल में देवा के खाते में दर्ज हो गई थी । आराजी पैतृक नहीं है और न ही सुक्खा के खाते से देवा के खाते में आई है । गंगा बाई के खाते में दर्ज थी जो उन्होंने अपने जीवनकाल में देवा के खाते में अंकित करवायी थी । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है । संवत् 2005 अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही रेस्पोडेन्ट के पिता उसके खातेदार दर्ज थे । आराजी पर सन् 1948 से रेस्पोडेन्टगण का कब्जा है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्टगण के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । वादग्रस्त आराजी में उनके अधिकार निहित नहीं हैं । 70 वर्ष के बाद दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है । वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट के उपरान्त उसके बटा नम्बर अंकित किये जाकर अलग–अलग पक्षकारों के खाते में दर्ज हो चुकी है । अपीलान्टगण का कोई हित वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है । वादग्रस्त आराजी पैतृक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम अर्जुनपुरा की खसरा नम्बर 110 रकबा 5.02 हैक्टर भूमि रामरतन पुत्र देवा व प्रेमबाई पुत्री देवा के नाम खाते में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 443, 476, 482, 483, 484, 485, 505, 542 के नोट अंकित हैं । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति संलग्न

है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 58 के हाल खसरा नम्बर 110 रकबा 5.02 हैक्टर कायम किये गये हैं । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सवंत् 2016 से 2027 संलग्न है जिसके अनुसार देवा वल्द सुक्खा के खाते में साबिक खसरा नम्बर 58 की 31 बीघा 04 बिस्वा आराजी दर्ज है और नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2016–24 के अनुवार साबिक खसरा नम्बर 27, 339, 340, 342 मिन, 343 के हाल खसरा नम्बर 58 रकबा 31 बीघा 04 बिस्वा कायम हुए हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2004–07 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 02 किता की 31 बीघा 04 बिस्वा भूमि मु0 गंगाबाई बेबा मोहन के खाते में दर्ज है और संवत् 2005 में देवा बेटा सुक्खा खातेदार दर्ज हैं। इसके अलावा पत्रावली पर एक फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 19 की खसरा नम्बर 1061/110 करबा 0.40 हैक्टर भूमि गुलाबाई पत्नी रामरतन के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार नया खाता संख्या 135 में खसरा नम्बर 1060/110 रकबा 1.12 हैक्टर भूमि हमेश कुमार पुत्र रामरतन के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 07 में खसरा नम्बर 1059/110 रकबा 1.12 हैक्टर भूमि आशादेवी पत्नी महेश जाति लश्करी के खाते में दर्ज है ।

11. इस प्रकार पत्रावली पर जो रिकॉर्ड संलग्न है उसके अनुसार संवत् 2004 में वादग्रस्त आराजी गंगाबाई बेवा मोहन और संवत् 2005 में यह आराजी देवा वल्द सुक्खा के खाते में दर्ज हो चुकी है । संवत् 2005 अर्थात् सन् 1948 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व यह आराजी देवा जो कि रामरतन के पिता है के खाते में दर्ज हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी कभी सुक्खा के खाते में रही हो इसको प्रमाणित करने करने के लिए प्रार्थी ने सुक्खा के खाते की कोई नकल जमाबन्दी पेश नहीं की है । इस प्रकार पत्रावली पर जो रिकॉर्ड संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पैतृक प्रमाणित नहीं होती है । वादग्रस्त आराजी गंगाबाई बेवा मोहन के खाते से देवा के खाते में संवत् 2005 में दर्ज हो चुकी है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व ही देवा इसका खातेदार कृषक हैं और वर्तमान में उनके वारिस रेस्पोडेन्ट खातेदार व काबिज काश्त हैं। इस कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्राथी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि अपीलान्ट प्रार्थी वादग्रस्त आराजी को पैतृक सिद्ध करने एवं प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी में अपने हक हित–निहित होना सिद्ध करने में असफल रहे हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा